POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 04.12.2024

थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस द्वारा 01 साइबर अपराधी गिरफ्तार, धोखाधड़ी से सम्बन्धित 18 लाख 63 हजार रुपये फ्रीज़ कराये गये।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **04.12.2024** को **थाना साइबर क्राइम** नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये वादी मुकदमा को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर शेयर ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधडी करने वाले 01 साइबर अपराधी अंकित अरोड़ा पुत्र कैलाश अरोड़ा को गौर सिटी के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 12.06.2024 को थाना स्थानीय पर लिखित सूचना देकर मु0अ0सं0 47/2024 धारा 420 भादवि व 66डी0 आई0टी0एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया। घटना क्रम के अनुसार दिनांक 15.01.2024 को वादी मुकदमा को फोन पर एक मैसेज भेजकर टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर शेयर ट्रेडिंग के लिए कहा गया। उसके बाद वादी मुकदमा से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 34,82,894 रुपये की धोखाधडी की गयी।

विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन से अभियुक्त अंकित अरोड़ा का नाम प्रकाश मे आया। अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की उपरोक्त धनराशि को डिजी सर्वे टेक्नॉलाजीस एण्ड रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमटेड कम्पनी के खाते मे ट्रांसफर करवाए गये। उक्त खाते मे अभियुक्त का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है जिसकी नेट बैंकिंग आदि सभी कार्य अभियुक्त कर रहा था। अभियुक्त द्वारा बड़ी चालाकी से उक्त कम्पनी अपने अधीन कर्मचारियों के नाम पर तैयार की गयी और बैंक खाते में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर उसकी नेट बैंकिंग आदि सभी कार्य अपने हाथों में लिया गया।

पूछताछ मे अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह कंपनी खोलकर डिजिटल मार्केटिंग का काम करने के बहाने डाटा एकत्र करता था तथा लोगों को टेलीग्राम में जोड़कर शेयर ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधडी करता था तथा कुछ समय काम करने के बाद कम्पनी बंद कर देता था ताकि पकड़ा न जा सके और पता बदल बदल कर किराये पर रहता था। अभियुक्त द्वारा धोखाधड़ी करने के लिए अनेकों फर्जी पते पर खाते खुलवाए गये हैं जिसके सम्बंध में जाँच करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना साइबर क्राइम गाजियाबाद ,थाना शहादरा दिल्ली

,कर्नाटक में अभियोग दर्ज हैं। अभियुक्त की उक्त कंपनी के खाते में विभिन्न राज्यों कर्नाटक-26, महाराष्ट्र-19, तमिलनाडु-17, तेलंगाना-09, आंध्र प्रदेश -07, उत्तर प्रदेश-06, केरल- 06, दिल्ली- 05, गुजरात- 04, छत्तीसगढ़- 02, हरियाणा -03, ओडिशा-01, पंजाब -03, राजस्थान-02, पश्चिम बंगाल-03, लद्दाख- 01, कुल 114 नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल (एनसीआरबी) पर शिकायत दर्ज है। जिनकी जाँच कर सम्बन्धित को रिपोर्ट भेजी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. अंकित अरोड़ा पुत्र कैलाश अरोड़ा वर्तमान निवासी नोएडा गौतमबुद्धनगर, मूल निवासी कानपुर नगर।

नोट-- साइबर जागरूकता सुझाव

1. साइबर से सम्बन्धित किसी समस्या के लिये साइबर क्राइम हेल्पलाईन नम्बर 1930 अथवा साइबर क्राइम की वेबसाइटwww.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें।

2. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड व आधार कार्ड अपडेट करने के लिये बैंक द्वारा कोई लिंक नहीं भेजा जाता है।

3. यदि हो सके तो सदैव विश्वसनीय एवं भारत सरकार के अधीन शेयर मार्केट पर ही इन्वेस्टमेंट करें

4. व्हाट्सएप कॉल टेलीग्राम या सोशल मीडिया के अन्य किसी प्लेटफार्म से यदि कोई व्यक्ति संपर्क कर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करता है तो उस पर विश्वास ना करें।
5. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन का सदैव पालन करें।
6. डिजिटल करंसी जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी आदि में इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमाने वाले लुभावने ऑफर से सदैव बचकर रहे

7. गूगल रिव्यू, होटल, मूवी लाइक रिव्यू करके पैसा कमाने वाले लुभावने ऑफर की ओर आकर्षित न हो। यह सभी आपके साथ फ्रॉड करने की नीयत से अपराधियों द्वारा मैसेज प्रेषित किए जाते हैं